भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5152
(सोमवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2023/चैत्र 13, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर)

धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम का संशोधन

5152. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) मानदंडों का दायरा बढ़ाने के लिए धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमों में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग संस्थाओं को अपने लाभकारी मालिकों और लेन-देनों के सभी संबंधित रिकार्ड पांच वर्षों तक रखने होते हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हां, सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. सां. आ. 1074(अ), दिनांक 07.03.2023 के तहत धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में संशोधन किया है।

(ख) और (ग): जी हां, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था को ग्राहक और रिपोर्टिंग संस्था के बीच व्यावसायिक संबंध समाप्त होने अथवा खाता बंद कर दिए जाने, इनमें से जो भी बाद में हो, के बाद पाँच वर्षों की अवधि के लिए अपने लाभार्थी स्वामी का रिकार्ड बनाए रखना आवश्यक है। लेन देन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए अपने ग्राहकों के साथ किए गए प्रत्येक लेन देन के रिकार्ड का रखरखाव करना भी अपेक्षित है।

*****